International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 320-323

नये राज्यों की मांग का औचित्य

आशुतोष शर्मा
सहा0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय,देवगनपुरा पनवाडी, महोबा, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वतंत्रता के पूर्व से चली आ रही है और इसके लिये अनेक आयोगों का गठन भी समय–समय पर किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्यों का गठन करके उन्हें इकाईवार 4 वर्गो में विभक्त किया गया था। इसके बाद भाषायी आधार पर होने वाली मांगों के फलस्वरूप सन् 1953 में एक राज्य में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने भाषायी आधार पर राज्यों के गठन किया था। सन् 1955 में आयोग ने राज्यों के गठन से सम्बंधित रिपोर्ट प्रकाशित की। सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय पृथक् छोटे–छोटे राज्यों को बनाने की मांग उठती रही है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्यों का गठन किया गया था इन राज्यों की संख्या बढ़ते–बढ़ते 25 हो गई थी। वर्तमान समय में तीन नये राज्यों उत्तरांचल, वनांचल, छत्तीसगढ़ के गठन के परिणामस्वरूप इन की संख्या 29 हो गई है। आज देश के विभिन्न भागों में पृथक् राज्य की मांगे उठती रहती है। यदि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर पृथक् राज्य की मांग क्यों उठती है? पृथक् राज्य बनाये जाने की क्या आवश्यकता है? इसके लिये विभिन्न कारणों के तर्क दिया जाते है, जैसे–राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, आर्थिक पिछड़ापन एवं बड़े राज्यों की प्रशासकीय व्यवस्था आदि।

मूल शब्द : खालिस्तान, महाराष्ट्र, विदर्भ, गठबन्धन सरकारें।

प्रस्तावना
इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में पृथक् राज्य की मांग उठने के एक कारण नही बल्कि अनेक कारण है जिनमें से प्रमुख रूप से ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि होते है। ऐतिहासिक कारणों से भी देश के कुद क्षेत्रों मे जैसे–पंजाब में खालिस्तान, महाराष्ट्र में विदर्भ, मध्य–प्रदेश, में महाकौशल आदि का राज्य बनाने की मांग की जाती रही है। देश के विभिन्न भागों में भिन्न–भिन्न संस्कृति के लोग निवास करते है, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी सांस्कृतिक अस्मित की पहचान बनाये रखने के लिए पृथक् राज्य की मांग करते हैं। देश में आर्थिक कारण भी पृथक् राज्य की मांग को प्रभावित करते है। स्वतंत्रता के पश्चात् देश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजीवादी प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं, जिसमें उद्योगों का केन्द्रीकरण (जो एक स्पष्ट प्रमाण) जो क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ गये, वे और भी पिछड़ने चले जा रहे है। बड़े राज्यों में आर्थिक नियोजन से कुछ क्षेत्र विकसित और कुछ अविकसित है। यहां के बजट में भी इस प्रकार का असंतुलन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनके विकास की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आजादी के इतने वर्षो बाद तक ये अपने साथ होने वाले उपेक्षापूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट हैं।
आर्थिक विषमता एवं अन्य कारणों से क्षेत्रों का विकास नहीं होने के कारण पिछड़े हुए क्षेत्रों के युवक दूसरे शहरों व राज्यों की ओर पलायन होने को विवश हो जाते है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों के लोगों द्वारा दोहन होने के कारण भी ये क्षेत्र पिछड़े रह गये है। देश के अनेक क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न होने के बावजूद इन क्षेत्रों मे वह उन्नति नहीं हुई जो विकास की दृष्टि से आवश्यक थी, फलस्वरूप ये क्षेत्र पिछड़ गये। राजनीतिक कारण भी पृथक् राज्य के निर्माण मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। राजनीतिक नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पृथक् राज्य की मांग करने लगे है, वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो राजनीति मे छाये रहने के लिए पृथक् राज्य की मांग को प्रोत्साहित कर रहे है। इसी तरह सत्ता में आये कुछ राजनीतिक नेता जो सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान देते हैं तथा अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान नही जाता है। इन सत्ताधारी राजनीतिज्ञों द्वारा कुछ क्षेत्रो की लगातार उपेक्षा किये जाने की वजह से भी पृथक् राज्य की मांग की जा रही है। कुछ राजनीतिक व क्षेत्रीय नेता अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने की जगह अपने स्वार्थो की पूर्ति हेतु जनता को पृथक् राज्य की मांग करने के लिए प्रेरित करते है, जनता को उनकी वास्तविक समस्याओं को सुलझाने की जगह उन्हें मार्ग से भटकाने के लिए पृथक् राज्य का एक काल्पनिक हल सामने ला रहे है अर्थात पृथक् राज्य को दिव्य दिखा रहे है।
देश के अनेक क्षेत्रों में पृथक् राज्यों की मांग जोर पकड़ती जा रही है। यदि देखा जाये कि जिन से पृथक् राज्य की मांग की जा रही है, तो क्या इनसे, सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा? अगर ऐसा होता तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश आदि राज्यों की स्थिति तस्वीर बदल गई होती। परन्तु ये राज्य आज भी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे है। इन पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा बहुत अधिक संसाधन प्रदान किये जाने के बाद भी आज यहॉ पर पृथक्तावादी आन्दोलन जारी है। इस तरह के प्रमाण के अनुसार पृथक राज्य के बनने से सभी समस्याओं का निदान संभव नही होगा। यदि पृथक् राज्य बनाने की मांग मान भी ली गई, तो यह मांग कभी समाप्त होने वाले नहीं है। प्रत्येक दिन एक नये क्षेत्र के लिए पृथक् राज्य की मांग की जाने लगेगी और ये मांग बढ़ती चली जायेंगी? क्या पृथक् राज्य बनाये जाने से समस्याओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी? क्या पृथक् राज्य बनाने से रोजगार की समस्या का समाधान होगा? क्या इससे विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? इस पृथक् राज्यों के गठन से विभिन्न जातीय, संस्कृति, भाषायी समूहों में

आपसी कटुता की भावना उत्पन्न नहीं हो जायेगी? इस संगठनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक्तावादी आन्दोलनों को बढ़ावा नही मिलेगा? यदि इसी तरह एक–एक जिले को एक राज्य बनाया जाय, तो भविष्य में यह अतिश्योक्ति न होगी। लेकिन कुछ हद तक यह मांग संभव है : भारत में अनेक वर्षो तक बाहरी लोगों (विदेशियों) का शासन रहा है। जिसके कारण वर्षों से यहॉ के लोग शोषित और उत्पीड़ित होत रहे हैं और यहां के प्राकृतिक संसाधनों जैसे : खनिज सम्पदा, वन सम्पदा आदि की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी इन क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं हो पाया है और न ही ये सभ्यता, संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध हो पाये हैं। आजादी के इतने वर्षो के बाद भी आज देश के अनेक क्षेत्र पिछड़े एवं अविकसित हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समानता नहीं है। अनेक ऐसे भी क्षेत्र है, जहॉ प्राकृतिक संसाधनां की प्रचुरता है और अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहॉ इनकी कमी है। इसी तरह जनसंख्या का घनत्व भी भिन्न–भिन्न है। जिसकी वजह से देश में पृथक् राज्य की मांग उठती रहती है।

भारत में कुछ बड़े राज्य भी हैं जिनका प्रशासन संभालना मुश्किल होता जा रहा है, प्रशासनिक कुशलता की दृष्टि से छोटे राज्य बनाना उचित (आदर्श) प्रतीत होता है क्योंकि इससे प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था नियंत्रण में रह सकती है। बड़े राज्यों की प्रशासनिक कठिनाईयों के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र विकसित और कुछ अविकसित रह गये हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार को अलग–अलग नीतियों को अपनाने की भी आवश्यकता है। यह आवश्यकता छोटे राज्यों से संभव हो सकती है। भारत में कुछ छोटे राज्य जैसे–पंजाब और केरल भी है जिन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति की है परन्तु आज इस पृथक् राज्यों की मांग का उद्देश्य जनता के हित से सम्बंधित न होकर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति से जुड़ गया है। सामान्य रूप से यह माना जा रहा है कि इससे बड़े राज्य छोटे–छोटे राज्यों में विभक्त हो जाते है। इन सभी कारणों को देखते हुए पृथक् राज्य की मांग अनुचित नहीं कही जा सकती। पृथक् राज्य बन जाने पर इस क्षेत्र का कुछ तो विकास हो सकेगा। आज भारत में लगभग 40 प्रतिशत से कम आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अनेक गांवों में बिजली, स्वच्छ पीने का पानी, शिक्षा, सड़क, एवं सिंचाई व्यवस्था अदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है, छोटे राज्यों के निर्माण में धन व्यय न करके इन समस्याओं को हल किया जाये तो उचित होगा। वर्तमान में संघ सरकार ने तीन राज्यों (उत्तरांचल, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़) के गठन को स्वीकार किया है। सरकार ने इन राज्यों का गठन देश के विकास को ध्यान में रखकर किया है। इन तीनों राज्यों के गठन पश्चात् देश के अन्य क्षेत्रों में भी पृथक् राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन हो रहे हैं और इसके साथ ही नये–नये राज्यों के गठन के लिए जनता को इन आन्दोलनों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि ये मांगे बिना किसी ठोस आधार के अनावश्यक रूप से नही उठे। देश सार्वभौमिकता और अखण्डता दलगत राजनीति का शिकार न हो पाये। पृथक् राज्यों की मांगो को यदि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह अव्यावहारिक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता के विकास में सबसे बड़ी बाधक है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह मांग उचित प्रतीत होती है क्योंकि इससे प्रत्येक क्षेत्र विशेष के लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कतिक आदि रूप से विकास करके अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते है। राष्ट्र के निर्माण में जनता की भागीदारी के लिए सत्ता और आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण तभी सार्थक होग, जब आर्थिक राजनीतिक, सत्ता के लिए राज्यों को पुनर्गठित किया जाये जैसे–उत्तर–प्रदेश का आर्थिक, राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके फिर से राज्य, बनाया जाय जिससे यहॉ संतुलित विकास हो सके। यदि देश के संतुलित विकास की दृष्टि से देखा जाय तो इसके लिए छोटे राज्य उपयुक्त आवश्यक होते है। उदाहरण यदि उत्तर–प्रदेश को लिया जाय तो यहॉ की लगभग 14 करोड़ की आबादी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री शायद ही जिला मुख्यालय तक पहुँच पाते हों। पृथक् राज्य के लिए की जाने वाली मांगे सिंफ राष्ट्रीय हित के विरूद्ध ही नहीं है, बल्कि इनसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास सको एक नयी दिशा मिली है और देश के विभिन्न भागों में जो भिन्न–भिन्न योजनाएं, कार्यक्रम कुछ समय से निष्क्रिय एवं मंद पड़े हुये थे उन्हें गति मिली है।

आज विभिन्न राजनीतिक दल भी प्रादेशिकता की भावना का प्रचार करके राजनीति में अपने स्थिति मजबूत बनाये हुये हैं। यदि पृथक् राज्य की मांग करने की राजनीति को निष्कर्ष रूप से देखा जाय तो राजनीति करने वाले इस मुद्दे को बनाये रखना आवश्यक समझते है, क्योंकि इस तरह के आन्दोलन को जारी सरके वे राजनीतिक क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाये रखना चाहते है। ये आन्दोलनकारी केन्द्र में अपने वाले सरकार के अनुसार अपना आन्दोलन का रूख बदलते रहते है। जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसने पृथक् राज्य की मांग को पूरी तरह हटा दिया था। आज जब वह सत्ता में नहीं है तो अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार पृथक राज्यों के संदर्भ में अलग–अलग रूख अपना (अख्तियार कर) रही है। यदि कांग्रेस केन्द्र सत्ता में आती है तो आज अपने वायदे से हटकर विरूद्ध हो जावेगी। इस प्रकार आन्दोलनकारी सरकार के अनुसार अपने निर्णय बदलते रहते है। भारत में बढ़ रहे आतंकवाद और साम्प्रदायिकतावाद ने पृथक् राज्यों की मांगों को और अधिक तीव्र किया है। जैसे–बोडोलैण्ड, खालिस्तान आदि की मांग से होने वाले हिंसात्मक आन्दोलनो को तीव्र करने के पीछे आतंकवादी एवं साम्प्रदायिक तत्वों का हाथ रहा है। भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखते हुए छोटे राज्यों के गठन को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। छोटे राज्यों के गठन से आर्थिक पिछडापन विषमता को तो दूर किया जा सकता है परन्तु इससे देश की अर्थव्यवस्था का पूर्णरूप से विकास सम्भव नहीं हैं। नये राज्यों (छोटे राज्यों) के गठन से होने वाले खर्च से सरकार के ऊपर जो वित्तीय भार आयेगा, उससे आर्थिक संसाधनां को एकत्र करना कठिन कार्य हो जायेगा और इन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पिछड़े हुए इलाकों का विकास करना मात्र मृगतृष्णा ही होगा। इस तरह आज देश में प्रादेशिकता के आधार पर विभिन्न भागों में उठने वाली पृथक् राज्यों की मांगों से पृथक्तावादी आन्दोलनों एवं विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलता है एवं देश कमजोर होता है। अतः हमें अपने देश के विकास एवं उन्नयन के लिए इन पृथक्तावादी आन्दोलनों की राजनीति से देश को दूर रखना चाहिए। भारतीय राजनीति में राष्ट्रीयता का विकास होना आवश्यक है।

प्रादेशिकता, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे देश में प्रादेशिकता की इस भावना को समाप्त करने की दृष्टि से देश के संविधान में एक इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है परंतु आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में भारतीय नागरिक होने की अपेक्षा बंगाली, बिहारी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि होने की भावना की संकीर्ण मनोवृत्ति अधिक है। इस संकीर्ण मानसिकता के आधार पर देश के विभन्न भागों में क्षेत्रीय स्वार्थो और राजनीतिक स्वशासन को लेकर पृथक्तावादी आंदोलन किये जा रहे है। आज देश के विभिन्न भागों के मध्य आपसी वैमनस्य देखने मिलता है, इसका मूल कारण वास्तव में आर्थिक विषमता है। सरकार को क्षेत्रों के विकास के लिए पृथक् तरीके अपनाने चाहिये

और ऐसी योजनायें भी बनानी चाहिये जिससे सभी जगह संतुलित विकास हो सके। आज देश में अधिकांश क्षेत्र बहुत अधिक पिछड़े हुए है। बड़े राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों की जनता के लिए पिछड़ेपन एवं अन्य समस्याओं का समाधान करने अथवा अन्य कोई उपाय करने की जगह पृथक् राज्य बना दिये जाने से ही यदि इन क्षेत्रों का विकास एवं अन्य समस्याओं का समाधान हो जाता तो यह कब का हो गया होता। आज देश में अनेक ऐसे राज्य हैं, जहॉ गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ापन है। यहॉ अधिकांश जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि क्षेत्र के विकास हेतु पृथक् राज्य बना देने से ही इस समस्या का समाधान नही हो जाता बल्कि इसके लिए जब तक हम सभी भारतीय नागरिक इन समस्याओं का समाधान खोजने का दृढ़ संकल्प न ले लें तब तक दृढ़ निश्चयी राजनीतिक आकांक्षाओं की दृढ़ निश्चयी सत्ता शक्ति की आवश्यकता है। यदि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की शासन व्यवस्था अपनाये तो हमें छोटे राज्य, संभाग, जिला, तहसीलों, पंचायतों का गठन करके शासन की सत्ता को गांव–गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए। ताकि सभी शासन व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से हो सके। यदि राज्य के निर्माण का उद्देश्य स्वतंत्र एवं स्वेच्छाचारित्र की प्रवृत्ति का है, तो यह निश्चय ही राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध होगा। देश के विभिन्न भागों में पृथक्तावादी आन्दोलन किये जा रहे है। यही वजह है कि देश के विभिन्न भागों में पृथक् राज्य की मांग की जा रही है। यदि इन समस्याओं के समाधान का उचित उपाय नहीं किया गया, तो पृथक्तावादी आन्दोलनों का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाये जाने चाहिए :–

1. भारत अनेक संस्कृतियों का सम्मिश्रण है, जहॉ पर अनेक संस्कृतियां आती गई और अतीत के गर्भ में समाती चली गई। भारतीय एकता बनाये रखने के लिए संस्कृति के सभी पहलूओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए एवं विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए, जिससे कि इन विभिन्न राज्यों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके। इनके बीच उत्पन्न आपसी वैमनस्य को दूर किया जा सके।
2. देश में एक राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे विभिन्न भाषा–भाषी समूहों को परस्पर मिलने का अवसर मिलेगा एवं उनके मध्य तनाव कम हो जायेगा।
3. देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए एक अखिल भारतीय भाषा का विकास किया जाय। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए हिन्दी भाषा अनिवार्य कर दी जाय।
4. भाषा को राजनीतिक स्वार्थो की पूर्ति बनने से रोका जानाा चाहिए। भाषायी विवादो का तुरंत समाधान करना चाहिए।
5. भाषा विवादी की समस्याओं का समधान करने के लिए क्षेत्रीय भाषा को समान रूप से मान्यता प्रदान की जाय और हिन्दी भाषा, किसी अन्य क्षेत्रीय समुदाय के लोगों में जबरदस्ती न लायी जाय। हिन्दी भाषा का प्रचार इस तरह किया जाय कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह इस सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार करें।
6. हमारे देश में विभिन्न जाति एव जनजातियों के लोग निवास करते है। इन विभिन्न जातियों में आर्थिक, सांस्कृतिक विषमता विद्यमान हे जिससे उनमें जातिवाद की भावना का भी विकास होता जा रहा है। सरकार द्वारा इन विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक समानता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे ये एक–दूसरे के निकट आ सके और प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें।
7. जाति के नाम पर चल रही शिक्षा संस्थाओं का नाम बदल दिया जाय और ऐसी संस्थाओं में मंडलो के किसी विशेष जाति के प्रतिनिधियों की प्रधानता को समाप्त कर दिया जाय।
8. जातिवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से निम्न जातियों के उत्थान के लिए सहायता करना चाहिए।
9. सरकार को सभी में समान आर्थिक सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे उनके बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा एवं उपेक्षा की भावना उत्पन्न न हो, कोई भी क्षेत्र अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके देश के पिछड़े हुए भागों को विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
10. सरकार द्वारा ऐसी नीति अपनायी जानी चाहिए, जिससे कि सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास हो और उनमें विभिन्न क्षेत्रों मे ंतनाव और मतभेद की भावना उत्पन्न न हो।

भारत में प्रादेशिकता के संदर्भ में उठने वाली पृथक् राज्यों की मांग को कम करने अथवा समाप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते है। प्रादेशिकता देश या राज्य की अपेक्षा किसी क्षेत्र के प्रति विशेष आकर्षण व लगाव दर्शाता है न कि सम्पूर्ण राष्ट्र पर। यही वजह है कि प्रादेशकता से विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात् आर्थिक विपन्नता के कारण पृथक् राज्य की मांग की जाने लगी है। प्रादेशिकता देश के विकास एवं अखण्डता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है जो क्षेत्र विशेष की स्वायत्ता चाहता है। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रान्तों का गठन किया और ब्रिटिश शासनकाल में प्रान्तों के साथ–साथ अनेक छोटी–छोटी देशी रियासते थी अंग्रेजो ने इन्हें अपने अधीन करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में इकाईयों के निर्माण को स्वीकार किया गया। इन इकाईयों के अन्तर्गत प्रान्तों और देशी रियासतों को शामिल किया गया है। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों को 4 वर्गो में विभक्त किया गया था किन्तु 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय इनको 14 राज्यों तथा 5 केन्द्रशासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् से वर्तमान तक देश में गठित राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों का विश्लेषण किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल समाप्त होने के पश्चात् सन् 1947 में देश के विभाजन के समय देशी रियासतों को भी स्वतंत्रता मिल गयी थी। देश के विभिन्न आधारों में उठने वाली मांगों का विस्तृत विवेचना किया गया है, देश में पृथक् राज्य के उठने वाली मागों के लिए किसी एक आधार को ही प्रमुख नहीं माना जा सकता। देश में विभिन्न आधारों आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि कारणों के आपस में मिले होने के कारण ये मांग की जा रही है। भारत में पृथक् राज्यों की मांग को भौगोलिक आधार के संदर्भ में किया गया है, भौगोलिक दृष्टि से भारत में कई राज्य आज भी विशाल हैं। जिससे विकास की प्रक्रिया उस राज्य में एक समान नही हो पाती, जिसका सीधा सा कारण यह होता है कि भौगोलिक संरचना विकास को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में मध्य–प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग तेजी से की जा रही थी जो वर्तमान एक राज्य रूप गठित हो गया है। भौगोलिक कारणों की भांति ऐतिहासिक कारणों से भी देश में पृथक् राज्य की मांग उठ रही है जैसा कि उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में अनेक देशी रियासतों का विलय भी राज्यों में कर दिया गया था। आज इन रियासतों के निवासी अपने पृथक् अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पृथक् राज्य की मांग कर रहे हैं उनका

कहना है कि यदि उनकी रियासत को पृथक् राज्य का रूप दिया जाता तो वे ज्यादा लाभ की स्थिति में होते। देश के विभिन्न भागों में आर्थिक विकास की असंतुलित स्थिति भी प्रादेशिकता के उदय का एक कारण रही है। देश के कुछ क्षेत्र सम्पदा, आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और कुछ क्षेत्र सम्पदा सम्पन्न हैं परन्तु उस सम्पदा के दोहन का लाभ किसी अन्य क्षेत्र मिलता है जिसके कारण उस क्षेत्र विशेष में सार्थक विकास नहीं हो पाता जिससे इन क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और पृथक् राज्य की भावना पनपने लगी। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषायी आधार पर राज्यों का निर्धारण किया गया है। प्रादेशिक भाषा के प्रति क्षेत्र के निवासी अधिक संवेगात्मक होते है जिससे वे यह मान लेते हैं कि उनकी ही भाषा शैली, शब्दावली, साहित्य समृद्ध है तथा वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं जिससे पृथक् राज्य की संभावना को अत्याधिक बल मिलता है। जातिगत आधार पर भी हमारे देश में पृथक् राज्य की जाने लगी हैं जैसे– असम, महाराष्ट्र, दक्षिण भारतीय आदि अनेक ऐसे राज्य हैं जहॉ क्रमशः पृथक् राज्य की मॉग जाति के आधार पर की जा रही है। देश में प्रादेशिकता का मूल कारण राजनीति है, अनेक क्षेत्रों में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग स्थानीयता के आधार पर राज्य बनाने की मांग करते है। इस दिशा में मिजो विद्रोही, नागा दल, पंजाब में मास्टर तारा सिंह आदि उल्लेखनीय हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय हितों की परवाह न करके पृथक् राज्य की मांग करने लगते हैं।

निष्कर्ष में देश के विभिन्न भागों में पृथक् राज्य की मांग भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषागत, राजनैतिक, आर्थिक आदि आधारों को लेकर उत्पन्न हुई है, बल्कि यह कहना श्रेयस्कर होगा कि स्थानीय समस्याओं के कारण पृथक् राज्य की मांग उठ रही है इसके पीछे शासन की नीतियों का अभाव है क्योंकि जिस इकाई से संबंधित विकास किंचित कारणों से नहीं हो पा रहा है उन्हें दूर करने के लिए ऐसा उपाय करना चाहिंए ताकि सम्पूर्ण इकाई का सकरात्मक विकास हो सके। पृथक् राज्यों के लिए की जा रही मांग संबंधी सुधारों पर आधारित हैं, जिनका प्रशासनिक आधार पर निराकरण किया जाना चाहिए यदि राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता हो तो इसके लिए कुछ मापदण्ड बनाना चाहिए न कि बिना किसी नीति के राज्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए। क्षेत्रीयता उत्तर प्रदेश के राजनीति की शैली और दिशा को प्रभावित करने में अहम् भूमिका रखती है। क्षेत्रीयता की राजनीति ने देश की एकता और अखण्डता के सम्मुख गंभीर चुनौतियां उपस्थित की है जिन्हे हर संभव प्रयास से हल किया जाये। क्षेत्रवाद की जड़े नागरिकों के मस्तिष्क में है। हर व्यक्ति किसी–न–किसी रूप में दोहरे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है और उसमें उप–राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी दोनो ही प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। उप–राष्ट्रवादी प्रवृत्ति स्वभाविक रूप से राष्ट्रवादी प्रवृत्ति से पहले आती है। प्रादेशिकता की भावना राष्ट्रीयता के मार्ग में एक चुनौती है, हमें अपने सजग एवं निष्पक्ष देशभक्ती की आवश्यकताओं है जो देश के विघटनकारी तत्वों को समाप्त कर सके। लोकतंत्र में राजनीतिक व स्थानीय नेता अपने स्वार्थो की पूर्ति के लिए जनता को गलत राह पर मोड़ देते हैं अर्थात् पृथक् राज्य की मांग के लिए प्रोत्साहित करते है, ऐसी स्थिति में जनता भी संकीर्ण मनोवृत्ति को अपनाती है। आज देश में ऐसे विद्वानों, महानुभावों की आवश्यकता है जो राष्ट्रीयता के महत्व को जानते हैं और जो देश में फैली प्रादेशिकता की भावना को समाप्त करके दूरदर्शी और सच्चे राष्ट्रभक्त की इस चुनौती को स्वीकार करें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तायल, बी0बी0 – भारतीय शासन एवं राजनीति मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, 1992।
2. गुप्ता, डी0डी0, – भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, बम्बई, 1977।
3. शर्मा, महादेव प्रसाद, – भारतीय गणतंत्र का संविधान, किताब महल, इलाहाबाद, 1971।
4. फड़िया, बाबू लाल एवं जैन, श्रीपाल, भारतीय संघ व्यवस्था कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर, 1982।
5. चतुर्वेदी, दिनेश चंद्र, भारतीय शासन एवं राजनीति, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, 1984।
6. तायल, बी.बी., भारतीय शासन विधान, मयूर पेपरबैक्स नोएडा, 1992।
7. शरण, परमात्मा, भारतीय शासन और राजनीति रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड़, मेरठ, 1980–81।